न्यायालय सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज
बंट्वारा वाद सं0–34/2025

उमा देवी...वादिनी
बनाम
छविलाल साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.06.2026	वादिनी की ओर से पैरवी नहीं है। वाद पुकार पर न तो स्वयं वादिनी और न ही वादिनी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत त्रुटि निवारण हेतु नियत है। वादिनी दिनांक 12.02.2026 से लगातार कोई पैरवी नही कर रही है। आज दिनांक 03.06.2026 को भी वादिनी की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई है। इससे प्रतीत होता है कि वादिनी को अपने वाद में कोई रुची नही है। ऐसी स्थिति में वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादिनी का वाद त्रुटि निवारण के अभाव एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करायें। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	